न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी कमांक I/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/6272 वर्ष 2017

लीलावती पिता वल्काई लोधी पति उमा प्रसाद लोधी उम्र 40 वर्ष.

पेशा खेती ग्राम वनौली हाल निवासी ग्राम–महराजगंज तहसील रैपुरा, जिला–पन्ना म0प्र0

———निगरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

1. पार्वती पति जगदेव लोधी उम्र 30 वर्ष. पेशा खेती, ग्राम–वनौली तहसील सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0।

2. भागवती पिता वल्काई लोधी पति रम्मन लोधी उम्र 65 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम वनौली हाल निवास ग्राम–वडखेरा तह0 सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0।

3. सूरज पिता वल्काई लोधी उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती, नि0 ग्राम–वनौली तहसील सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0।

4. मंजीत पिता सूरज लोधी उम्र 14 वर्ष, ना0 वा0 जरिये वली माँ रोहिणी वाई, पति सूरज लोधी उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम–वनौली तह0 सिमरिया,जिला–पन्ना म0प्र0।

5. वल्काई पिता शिवदीन लोधी फौत

6. गुलाब बाई पत्नी वल्काई लोधी उम्र 75 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम वनौली, तहसील सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0।

7. म0प्र0शासन

————गैरनिगरानीकर्ता / उत्तारर्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–राजस्व सहिंता 1959।

निगरानी विरूद्व तहसीलदार महोदय सिमरिया के रा0प्र0क्र0 49/अ–6/2015–16 प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2017 मे पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 से दुखित होकर।

न्यायिक निराकरण हेतु सादर प्रेषित।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-एक/निग./पन्ना/भू.रा./2017/6272

लीलावती विरूद्ध पार्वती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ उपस्थित। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार सिमरिया, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 49/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	

होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य